रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/98 REGISTERED NO D. L.—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1998/श्रावण 3, 1920
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1998/SHRAVANA 3, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1998

सा०का०नि० 128.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 3216, तारीख 4 अक्तूबर, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुए यह निदेश देती है कि मैसर्स आगा खां फाउण्डेशन, सरोजिनी हाउस, दूसरा तल, 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्पनी कहा गया है) के मामले में, जो कि एक विदेशी कम्पनी है, को उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी को लागू होती हैं, उक्त अधिसूचना द्वारा यथा उपान्तरित निम्नलिखित अतिरिक्त अपवादों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि कम्पनी, 1 जनवरी, 1997 से प्रारम्भ और 31 दिसम्बर, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि की बाबत अपने भारतीय कारबार लेखाओं के सम्बन्ध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा :—

(i) ऐसी कम्पनी की भारतीय शाखा द्वारा प्राप्तियों और संदायों का एक विवरण, जिसे—

(क) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन भारत में आदेशिका की तामील स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति; और

(ख) भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण जो 1 जनवरी, 1997 से प्रारम्भ और 31 दिसम्बर, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि का है, भारत में कम्पनी की प्राप्तियों और संदायों की बाबत सही और उचित है;

(ii) भारत में कम्पनी की आस्तियों और दायित्वों का एक विवरण, जिसे—

(क) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन भारत में आदेशिका की तामील स्वीकार करने के लिए, प्राधिकृत किसी व्यक्ति; और

(ख) भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण जो 1 जनवरी, 1997 से प्रारम्भ और 31 दिसम्बर, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्त में है, भारत में कम्पनी के कार्यकलाप की स्थिति की बाबत सही और उचित है; और

(iii) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन भारत में आदेशिका की तामील स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि कम्पनी ने 1 जनवरी, 1997 से प्रारम्भ और 31 दिसम्बर, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान भारत में कोई व्यापारिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक क्रियाकलाप नहीं किया है।

[सं० 50/5/98-सी०एल०-III]

आर० एन० वासवानी, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 7th July, 1998

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and in partial modification of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) number S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby directs that in the case of M/s. Aga Khan Foundation, Saroiini House, 2nd floor, 6 Bhagwan Das Road, New Delhi (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirement of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the said notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely:—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 if, in respect of the period commencing from the 1st day of January, 1997 and ending on the 31st day of December, 1997, the company in respect of its Indian Business Accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India. In triplicate:—

(i) a statement of receipts and payments made by the Indian Branch of such Company, certified by—

(a) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of section 592 of the said Act; and

(b) a Chartered Accountant practising in India: certifying that the said statement gives a true and fair view of the receipts and payments of the company in India for the period commencing from the 1st day of January, 1997 and ending on the 31st day of December, 1997;

(ii) a statement of the company's assets and liabilities in India certified by —

(a) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of section 592 of the said Act; and

(b) a Chartered Accountant practising in India; certifying that the said statement gives a true and fair view of the state of affairs of the company in India as at the end of the period commencing from the 1st day of January, 1997 and ending on the 31st day of December, 1997;

(iii) a certificate duly signed by person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of section 592 of the said Act certifying that the company did not carry on any trading, commercial or industrial activity in India during the period commencing from the 1st day of January, 1997 and ending on the 31st day of December, 1997.

[No. 50/5/98-CL-III]

R. N. VASWANI, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1998

सा०का०नि० 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में जनगणना कार्य निदेशालय के आंकड़े

प्रविष्टि ऑपरेटर ग्रेड "बी" के भर्ती नियम, 1996 जो दिनांक 1 जून, 1998 के भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3(i) मे प्रकाशित है, मे निम्नलिखित संशोधन करते है :—

विवरण	संशोधन
अधिसूचना के कालम "संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ" के अन्तर्गत पैरा 1(1) के छठी पंक्ति मे ।	"1996" के स्थान पर 1997 पढ़ें ।

[फा० स० 6/1/96—प्रशा० II]

के० विवेकानन्द, उप निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi the 10th July, 1998

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendment to the "The Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Data Entry Operators Grade 'B'|Recruitment Rules, 1996", published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 14th June, 1997 viz.:

Particulars	Amendment
In line 6 of Part 1(i) under "Short title and commencement" of the Notification.	For '1996' read 1997

[F. No. 6|1|96-Ad. II]

K. VIVEKANAND, Dy. Director

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1998

सा०का०नि० 130 .—केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श के उपरान्त, एतद्द्वारा अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 में आगे और संशोधन करने के प्रयोजन से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियम, 1998 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे

2. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 (इसके पश्चात् मुख्य नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 में :—

(क) उप-नियम (1) में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि जहां सेवा के किसी सदस्य को, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां किए जाने का विचार है, निलम्बित कर दिया जाता है; उस निलम्बित सदस्य के निलम्बन की तारीख के 90 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले यदि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरम्भ नहीं की जाती तो उसका ऐसा निलम्बन वैध नही होगा :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, उक्त नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय और अनुशासनिक कार्यवाहियां आरम्भ न किए जाने की विशेष परिस्थितियों जिन्हे लेख-बद्ध किया जाना होगा, पर विचार करने के बाद, अनुशासनिक कार्यवाहियां आरम्भ न किए जाने के 90 दिन की अवधि के बाद भी निलम्बन आदेश जारी रहने दे सकती है ।"

(ख) उप-नियम (7) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) जहां सेवा के किसी सदस्य को, किसी अनुशासनिक कार्यवाही के सिलसिले मे या अन्यथा, निलम्बित किया जाता है अथवा उसे निलम्बित किया गया मान लिया जाता है और उस निलम्बन के जारी रहने की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी जाती है तो उसे निलम्बनाधीन रखने वाला सक्षम प्राधिकारी, कारणो को लेख-बद्ध करते हुए सेवा के सदस्य को यह निदेश दे सकता है कि वह उप-नियम (8) के अध्यधीन निलम्बन के अधीन ही रहेगा ।"

(ग) उप-नियम (7) के उपरान्त, निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् .—

"(8) (क) इन नियम के अन्तर्गत पारित कोई निलम्बन आदेश, जिसकी समयावधि बढ़ाई न गई हो, केवल नब्बे दिन की अवधि के लिए वैध होगा और निलम्बन का वह आदेश जिसकी समयावधि बढ़ाई गई हो, आगे किसी एक समय अधिकतम एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए ही वैध रहेगा जब तक कि उसे इस अवधि से पहले उसे निरस्त न कर दिया गया हो ।

(ख) निलम्बन का कोई आदेश जो पारित किया गया हो अथवा पारित हुआ समझा गया हो अथवा जारी रखा गया हो की समीक्षा सक्षम

प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित समीक्षा समिति की सिफारिशों पर की जाएगी ।

(ग) समीक्षा समितियों की संरचना और कार्य और उनके द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची मे यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार होगी ।

(घ) उप-नियम (1) के अन्तर्गत निलम्बन की अवधि सम्बन्धित समीक्षा समिति की सिफारिशों पर एक बार और आगे एक सौ अस्सी दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है :—

"बशर्ते कि जहां इस खण्ड के अन्तर्गत, कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, निलम्बन का आदेश समीक्षा किए जा रहे आदेश की समाप्ति की तारीख से ही निरस्त समझा जाएगा"

(घ) नए उप-नियम (8) के उपरान्त, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(9) निलम्बन और निरस्तीकरण का प्रत्येक आदेश, इन नियमो के साथ संलग्न उपयुक्त मानक-प्रपत्र में यथा-सम्भव व्यवहार्य रूप में पारित किया जाएगा ।"

3. मुख्य नियमों मे, नियम 31 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची और फार्म जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

अनुसूची

[नियम 3(8)(ग) देखिए]

1. समीक्षा समिति की संरचना :—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग में भारत सरकार के सचिव —अध्यक्ष

(ii) सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग का प्रशासन प्रभारी अपरसचिव/संयुक्त सचिव —सदस्य

(iii) सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग का कोई अन्य अपर सचिव/संयुक्त सचिव —सदस्य

टिप्पणी :—समिति यदि आवश्यक समझे, तो वह सचिव (कार्मिक), कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अनुमोदन से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के किसी अधिकारी को सहयोजित कर सकती है ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) मुख्य सचिव —अध्यक्ष

(ii) राजस्व बोर्ड का वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष वित्तीय आयुक्त अथवा समतुल्य रैंक और हैसियत वाला कोई अधिकारी —सदस्य

(iii) राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्मिक विभाग का सचिव —सदस्य-सचिव

टिप्पणी : (i) जहां कहीं भारतीय पुलिस सेवा के किसी सदस्य से सम्बन्धित मामले पर विचार किया जाना हो तो वहां सम्बन्धित राज्यों के गृह सचिव/महानिदेशक (पुलिस) को सहयोजित किया जाए ।

(ii) जहां कहीं समिति द्वारा भारतीय वन सेवा के किसी सदस्य से सम्बन्धित मामले पर विचार किया जाना हो तो वहां सम्बन्धित राज्य सरकार के वन सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सहयोजित किया जाए ।

(iii) ऐसे राज्यों, जहां सिविल सेवा बोर्ड गठित किए गए है, वहां समीक्षा समिति का कार्य राज्य सरकार, बोर्डों को सौंप सकती है ।

2. कार्य :—

(क) समीक्षा समिति/सिविल सेवा बोर्ड निलम्बनाधीन अधिकारियों के मामलो की यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा करेगी कि क्या निलम्बन जारी रखे जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आधार है ।

(ख) प्रत्येक मामले मे निलम्बन आदेश की समीक्षा इसके जारी किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर की जाएगी । ऐसे मामले में जिसमें निलम्बन की अवधि बढ़ा दी गई हो, उसमें अगली समीक्षा अन्तिम समयावधि बढ़ाने की तारीख से 180 दिन के भीतर की जाएगी ।

3. प्रक्रिया :—

(क) समीक्षा समिति/सिविल सेवा बोर्ड किसी निलम्बन की अवधि को और आगे जारी रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का निर्धारण करते समय, निलम्बित अधिकारी के विरुद्ध की जा रही जांच/अन्वेषण की प्रगति का जायजा, आरोपों की जांच/अन्वेषण कर रहे प्राधिकारियों से संगत जानकारी प्राप्त करके लेगी ।

(ख) समीक्षा समिति/सिविल सेवा बोर्ड के किसी मामले में जांच-पड़ताल करते समय निलम्बित अधिकारी द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़ किए जाने, जाच-पड़ताल अथवा अन्वेषण की प्रक्रिया को प्रभावित किए जाने और निलम्बन के दौरान अधिकारी को पदच्युत किए जाने की सम्भावना के सम्बन्ध में भी विचार करेगा ।

(ग) समीक्षा समिति/सिविल सेवा बोर्ड अपनी सिफारिशों और निलम्बन जारी रखने सम्बन्धी इन सिफारिशों पर पहुंचने के कारणों का स्पष्टतः उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

मानक फार्म

[नियम 3(9) देखिए]

टिप्पणी :—

1. आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।

2. जहां कोई आदेश भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल के नाम से जारी किया जाना हो, तो वहां "राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेश द्वारा" वाक्यांश हस्ताक्षरों के ऊपर अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए । ऐसा कोई आदेश/सूचना उपयुक्त मंत्रालय/विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, जिसे संविधान के अन्तर्गत, भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल की ओर से आदेश अधिप्रमाणित करने के सम्बन्ध में प्राधिकृत किया गया हो ।
3. फार्म का प्रयोग यथावत् रूप से नहीं किया जाना चाहिए । जहां कहीं आवश्यक हो, किसी मामला-विशेष की आवश्यकताओं को देखते हुए फार्म में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए ।

फार्म-I

निलंबन-आदेश के लिए मानक फार्म

आदेश

जबकि श्री------(नाम व पदनाम) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित/लंबित है।

जबकि श्री---------(नाम एवं पदनाम) के विरुद्ध आपराधिक मामले के संबंध में जांच/जांच-पड़ताल/विचारण चल रहा है।

अतः अब,--------- (निलंबित करने वाला सक्षम प्राधिकारी), अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उपर्युक्त श्री------ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हैं।

इसके अतिरिक्त यह आदेश दिया जाता है कि इस आदेश के लागू रहने तक श्री---------का मुख्यालय----(स्थान का नाम) रहेगा और उक्त श्री---------अधोहस्ताक्षरी की अनुमति लिए बिना उपर्युक्त मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे ।

हस्ताक्षर---------

निलंबन-प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

सं.--------- दिनांक---------

प्रतिलिपि श्री--------(नाम एवं पदनाम) । निलबन की अवधि के दौरान उन्हे स्वीकार्य निर्वाह-भत्ते सबंधी आदेश अलग से जारी किये जायेंगे ।

टिप्पणी :—प्रतिलिपियां, वेतन एवं लेखा अधिकारी को, जिसे उनके वेतन के आहरण का प्राधिकार होता है; विभाग के रोकड़ एवं लेखा अनुभाग; स्थापना अनुभाग को सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करने के लिये; नियुक्ति प्राधिकारी को, यदि आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया हो; तथा (उधार लिये गये अधिकारी) बारोज्ड आफीसर (के संबंध में) उधार देने वाले प्राधिकारी (लेंडिंग अथारिटी) को पृष्ठांकित की जाए। निलंबन के कारणों से, नियुक्ति प्राधिकारी और उधार देने वाले प्राधिकारी (लेंडिंग अथारिटी) को, अलग से गोपनीय पत्रों द्वारा अवगत कराया जाये ।

फार्म—II

समझे गये निलंबन-आदेश का मानक फार्म

आदेश

जब कि श्री----------(सेवा के सदस्य का नाम एवं पदनाम) के विरुद्ध एक आपराधिक मामले के संबंध में जांच/जांच पड़ताल विचारण चल रहा है; तथा जब कि उपर्युक्त श्री----------को दिनांक----------को अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि तक हिरासत में रखा गया था,

अतः अब उपर्युक्त श्री----------को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम ------के तहत दिनांक----------से नियुक्ति-प्राधिकारी के आदेश द्वारा, अगले आदेशों तक निलंबित किया हुआ समझा जाता है।

हस्ताक्षर ----------

नियुक्ति-प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

प्रतिलिपि : श्री----------(नाम एवं पदनाम) को, निलबन की अवधि के दौरान उन्हें स्वीकार्य निर्वाह-भत्ते के संबंध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

टिप्पणी :—प्रतिलिपियां, वेतन एवं लेखा अधिकारी को जिसे उसके वेतन के आहरण का प्राधिकार होता है; विभाग के रोकड़ एवं लेखा अनुभाग; स्थापना अनुभाग को सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करने के लिये; नियुक्ति-प्राधिकारी को यदि आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो; तथा उधार लिये गये अधिकारी (बारोज्ड आफीसर) के संबंध में उधार देने वाले प्राधिकारी (लेंडिंग अथारिटी) को पृष्ठांकित की जाये निलंबन के कारणों से नियुक्ति-प्राधिकारी और उधार देने वाले प्राधिकारी (लेंडिंग अथारिटी) को अलग से गोपनीय पत्रों द्वारा अवगत कराया जाये ।

फार्म—III

निलम्बन-आदेश निरस्तीकरण मानक-फार्म

आदेश

जब कि श्री----------(नाम एवं पदनाम) को निलंबित करने का एक आदेश दिनांक----------को ----------के द्वारा पारित किया गया था/पारित किया हुआ समझा गया था;

अतः अब राष्ट्रपति अधोहस्ताक्षरी नियम---------- (यहां सबद्ध नियम का उल्लेख किया जाये) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त निलबन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हैं।

हस्ताक्षर ----------

निलंबन-आदेश निरस्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

सं. ----------दिनांक ----------

प्रतिलिपि : श्री----------(निलंबित अधिकारी का नाम, पदनाम और पता)

प्रतिलिपियां :—कोषाधिकारी/वेतन एवं लेखा अधिकारी; विभाग के रोकड़ एवं लेखा अनुभाग; स्थापना अनुभाग को सेवा पुस्तिका मे प्रविष्टि करने के लिये; नियुक्ति-प्राधिकारी को, यदि आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, तथा (उधार लिये गये अधिकारी (बारोव्ड आफीसर) के मामले में, उधार देने वाले प्राधिकारी (लेंडिंग अथारिटी) को भी पृष्ठांकित की जाये।

[सं. 11018/3/97-अ.भा.से. (III)]

ए.के. सरकार, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी :—मुख्य नियम, भारत के राजपत्र, 1969 भाग-II खंड 3 उपखंड (i) पृष्ठ 1023-1037 में अधिसूचना सं. 7/15/63-अ.भा.से. (ii) दिनांक 20 मार्च, 1969 द्वारा प्रकाशित किये गये थे तथा बाद मे निम्न-लिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गये :—

(i) अधिसूचना सं. 12/2/69-अ.भा.से. (iii) दिनांक 13-4-71

(ii) अधिसूचना सं. 13/4/71-अ.भा (iii) दिनांक 11-1-72

(iii) अधिसूचना सं. 31/7/72-अ.भा.से. दिनांक 22-5-73

(iv) अधिसूचना सं. 6/9/72-अ.भा.से. (iii) दिनांक 5-7-75

(v) अधिसूचना सं. 6/9/73-अ.भा. से. (iii) दिनांक 26-7-75

(vi) अधिसूचना सं. 6/5/74-अ.भा. से. (iii) दिनांक 28-7-75

(vii) अधिसूचना सं. 11018/4/76-अ.भा. से. (iii) दिनांक 25-2-77

(viii) अधिसूचना सं. 11018/12/76-अ.भा. से. (iii) दिनांक 12-7-77

(ix) अधिसूचना सं. 11018/12/77-अ.भा.से. (iii) दिनांक 31-5-78

(x) अधिसूचना सं. 11018/6/78-अ.भा.से. (iii) दिनाक 16-11-78

(xi) असिसूचना सं. 11018/13/78-अ.भा.से. (iii) दिनांक 4-1-78

(xii) अधिसूचना सं. 11018/11/78-अ.भा.से. (iii) दिनाक 16-6-79

(xiii) अधिसूचना सं. 11018/7/79-अ.भा.से. (iii) दिनांक 11-11-80

(xiv) अधिसूचना सं. 11018/15/78-अ.भा.से. (iii) दिनांक 13-10-81

(xv) अधिसूचना सं. 28013/2/78-अ.भा.से. (iii) दिनांक 12-1-82

(xvi) अधिसूचना सं. 11018/18/81-अ.भा.से. (iii) दिनांक 3-8-83

(xvii) अधिसूचना सं. 11018/19/81-अ.भा.से. (iii) दिनांक 3-2-84

(xviii) अधिसूचना सं. 11018/2/87-अ.भा.से. (iii) दिनांक 9-2-88

(xix) अधिसूचना सं. 11018/7/87-अ.भा.से. (iii) दिनांक 26-2-88

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 13th July, 1998

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend he All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969, (hereinafter referred to as the principal rules),—

(a) in sub-rule (1), for the second proviso, the following Provisos shall be substituted, namely :

"Provided further that, where a member of the Service against whom disciplinary proceedings are contemplated is suspended, such suspension shall not be valid unless before the expiry of a period of ninety days from the date from which the member was suspended, disciplinary proceedings are initiated against him :

Provided also that the Central Government may, at any time before he expiry of the said period of ninety days and after considering the special circumstances for not initiating disciplinary proceedings, to be recorded in writing, allow continuance of the suspension order beyond the period of ninety days without the disciplinary proceedings being initiated."

(b) in sub-rule (7), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) Where a member of the Service is suspended or is deemed to have been suspended whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise, and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded in writing, direct that the member of the Service shall continue to be under suspension subject to sub-rule (8) ;"

(c) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(8)(a) An order of suspension made under this rule which has not been extended shall be valid for a period not exceeding ninety days and an order of suspension which has been extended shall remain valid for a further period not exceeding one hundred eighty days, at a time, unless revoked earlier.

(b) An order of suspension made or deemed to have been made or continued, shall be reviewed by the competent authority on the recommendations of the concerned Review Committee.

(c) The composition and functions of the Review Committees and the procedure to be followed by them shall be as specified in the Schedule annexed to these rules.

(d) The period of suspension under sub-rule (1) may, on the recommendations of the concerned Review Committee, be extended for a further period not exceeding one hundred and eighty days at a time:

Provided that where no order has been passed under this clause, the order of suspension shall stand revoked with effect from the date of expiry of the order being reviewed."

(d) after new sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(9) Every order of suspension and every order of revocation shall be made, as nearly as practicable, in the appropriate standard form appended to these rules."

3. In the principal rules, after rule 31, the following Schedule and Forms shall be added, namely :—

SCHEDULE

[See rule 3(8)(c)]

1. Composition of Review Committees.—

(a) The Review Committee constituted by the Central Government shall consists of :

(i) Secretary to the Government of India in the concerned Ministry/Department—Chairman ;

(ii) Additional Secretary/Joint Secretary incharge of Administration in the concerned Ministry/Department—Member ;

(iii) Any other Additional Secretary/Joint Secretary in the concerned Ministry/Department—Member.

Note :—The Committee may, if considered necessary, co-opt an officer of the Department of Personnel and Training with the approval of Secretary (Personnel), Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

(b) A Review Committee constituted by the State Government shall consist—

(i) Chief Secretary—Chairman ;

(ii) Seniormost Additional Chief Secretary/Chairman, Board of Revenue/Financial Commissioner or an officer of equivalent rank and status—Member ;

(iii) Secretary, Department of Personnel in the State Government—Member-Secretary.

Note (i).—The Home Secretary/Director General (Police) of the concerned States may be co-opted wherever a case concerning a member of the Indian Police Service is considered.

(ii) The Secretary Forest/Principal Chief Conservator of forest of the concerned State may be co-opted wherever a case concerning a member of the Indian Forest Service is considered by the Committee.

(iii) In States where Civil Services Board have been constituted, the State Government may entrust the work of the Review Committee to the Board.

2. Functions :—

(a) A Review Committee/Civil Services Board shall review the cases of officers under suspension in order to determine whether they are of sufficient grounds for continuation of suspension.

(b) In every case the review shall be done within 90 days from the date of order of the suspension. In a case where the period of suspension has been extended, the next review shall be done within a period of 180 days from the date of last extension.

3. Procedure :—

(a) A Review Committee/Civil Services Board while assessing the justification for further continuance of any suspension, shall look into the progress of any enquiry/investigation against the officer by obtaining relevant information from the authorities enquiring/investigating into the charges.

(b) The Review Committee/Civil Services Board while examining a case shall consider the possibility of the officer under suspension tampering with the evidence, his influencing the process of enquiry or investigation and deprivation of his services during suspension.

(c) The Review Committee/Civil Services Board shall submit a detailed report to the competent authority, clearly stating its recommendations and the reasons for arriving at the recommendations relating to the continuance of suspension.

STANDARD FORMS

[See rule 3(9)]

Note :—

1. The order should be signed by the competent authority himself.

2. Where an order has to be made in the name of the President of India/Governor of a State, the phrase 'By order and in the name of the President/Governor of State of....' should be inserted above the signatures. Such an order/communication should be signed by an officer in the appropriate Ministry/Department who is authorised under the Constitution to authenticate the orders on behalf of the President of India/Governor of a State.

3. The form should not be used mechanically. Wherever necessary, suitable modifications should be made in the form to meet the requirements of a particular case.

FORM I

STANDARD FORM FOR ORDER OF SUSPENSION ORDER

Where as a disciplinary proceedings against Shri...... (name and designation) contemplated/pending
Whereas a case against Shri......... ....(name and designation) in respect of a criminal offence is under investigation/inquiry/trial.

Now, therefore, the..............(Authrity competent to place under suspension), in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the All India Service (Discipline and Appeal) Rules, 1969, hereby places the said Shri................under suspension with immediate effect.

It is further ordered that during the period that this order shall remain in force, the Headquarters of Shri......... shall be. ....(name of place) and the said Shri . . ..shall not leave the said headquarters without obtaining the permission of the undersigned.

Signature...........

Name and Designation of the suspending authority

No.. . . . .

Dated, the.....................

Copy to Shri ... ... (name and designation). Order regarding subsistence allowance admissible to him during the period of his suspension will issue separately.

Note.—Copies should be endorsed to the Pay and Accounts Officer who authorities the drawal of his salary; to the Cash and Accounts Section of the Department; to the Establishment Section for making an entry in the Service Book; to the Appointing authority, if the order is made by some other authority; and to the Lending authority in the case of borrowed officer. The reasons for suspension should be communicated to the Appointing authority and the lending authority, separately, through confidental letters.

FORM II

STANDARD FORM FOR ORDER OF DEEMED SUSPENSION ORDER

Whereas a case against Shri. .....(name and designation of the member of the service) in respect of a criminal offence is under investigation/inquiry/trial;

And whereas, the said Shri.....was detained in custody on.....for period exceeding forty-eight hours;

Now, therefore, the said Shri..... is deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority w.e.f.....in terms of sub-rule .....of rule 3 of the All India Services (Discipline and Appeal) rules, 1969. until further orders.

Signature.....
Name and designation of the Appointing authority.

Copy to Shri..... .....(name and designation). Order regarding subsistence allowance admissible to him during the period of his suspension will issue separately.

Note.—Copies should be endorsed to the Pay and Accounts Officer who authorizes the drawal of his salary; to the Cash and Accounts Section of the Department; to the Establishment Section for making an entry in the Service Book; to the Appointing authority, if the order is made by some other authority; and to the Lending authority in the case of borrowed officer. The reasons for suspension should be communicated to the Appointing authority and the Lending authority, separately, through confidential letters.

FORM III

STANDARD FORM FOR REVOCATION OF ORDER OF SUSPENSION

ORDER

Whereas, an Order placing Shri.....(name and designation), under suspension, was made/was deemed to have been made by..... ...on.....;

Now, therefore, the President/undersigned, in exercise of the powers conferred by Rule.....(here mention the relevant rule) hereby revokes the said order of suspension, with immediate effect.

Signature.....
Name and designation of the authority competent to revoke the order of suspension.

No... .....

Dated, the.....

Copy to Shri. .....(name, designation and address of the officer under suspension).

(Copies should also be endorsed to the Treasury officer/Pay and Accounts Officer; to the Cash and Accounts Section on entry in the Service Book; to the Appointing authority, on entry in the Service Book; to the Appointing authority, if the order is made by some other authority; and to the Lending authority (in the case of borrowed officer).

[No. 11018/3/97-AIS(iii)]
A. K. SARKAR, Director (Services)

Note.—Principal Rules were published vide Notification No. 7/15/63-AIS(III) dated 20th March, 1960—Gazette of India 1960 Part II Section 3 Sub-section (i) at pages 1023-1037 & subsequently amended by :—

(i) Notification No. 12/2/69-AIS (III) dated 13-4-71.
(ii) Notification No. 15/4/71-AIS (III) dated 11-1-72.
(iii) Notification No. 31/7/72-AIS (III) dated 22-5-73.
(iv) Notification No. 6/9/72-AIS (III) dated 5-7-75.
(v) Notification No. 6/9/73-AIS (III) dated 26-7-75.
(vi) Notification No. 6/5/74-AIS (III) dated 28-7-75.
(vii) Notification No. 11018/4/76-AIS (III) dated 25-2-77.
(viii) Notification No. 11018/12/76-AIS (III) dated 12-7-77.
(ix) Notification No. 11018/12/77-AIS (III) dated 31-5-78.
(x) Notification No. 11018/6/78-AIS (III) dated 16-11-78.
(xi) Notification No. 11018/13/78-AIS (III) dated 4-1-79.
(xii) Notification No. 11018/11/78-AIS (III) dated 16-6-79.
(xiii) Notification No 11018/7/79-AIS (III) dated 11-11-80.
(xiv) Notification No. 11018/15/78-AIR (III) dated 13-10-81.
(xv) Notification No. 28013/2/78-AIS III) dated 12-1-82.
(xvi) Notification No. 11018/18/81-AIR (III) dated 3-8-83.
(xvii) Notification No. 11018/19/81-AIS (III) dated 3-2-84.
xviii) Notification No. 11018/2/87-AIS (III) dated 9-2-88.
(xix) Notification No. 11018/7/87-AIS (III) dated 26-2-88.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 1998

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राजस्व सेवा नियम, 1988 का और संशोधन कराने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राजस्व सेवा (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय राजस्व सेवा नियम, 1988 में,—

अनुसूची 3 में क्रम सं० 3 के सामने कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से संबंधित स्तंभ 3 में, "2 सदस्य के.प्र.क.बो.—सदस्य" अंक, अक्षरों और शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3, संयुक्त सचिव (स्थापन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग—सदस्य"।

[फा सं० ए-12018/1/98-ए डी -VI]
बी.के. अरोड़ा, अवर सचिव

टिप्पण :

मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं० 563 (अ) दिनांक 12 मई, 1988 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं० 295 दिनांक 14 जून, 1995 और सा.का.नि. सं० 3 दिनांक 3-1-1998 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 29th June, 1998

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Revenue Service Rules 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Revenue Service (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Revenue Service Rules, 1988,—

in Schedule III, against serial number 3, relating to Junior Adminstrative Grade, in Column 3, after the figure, letters and words "2. Member CBDT-Member", the following shall be inserted namely :—

"3. Joint Secretary (Estt.), Department of Personnel and Training---Member."

[F. No. A-12018|1|98-AD. VI]
B. K. ARORA, Under Secy.

Note :

The Principal rules were published vide G.S.R. 563(E) dated 12th May, 1988 and subsequently amended vide G.S.R. No. 295 dated 14th June, 1995 and G.S.R. No. 3 dated 3-1-1998.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1998

सा०का०नि० 132.—एशियाटिक सोसायटी अधिनियम, 1984 (1984 का 5) के खंड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा योजना बोर्ड (एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता) को पुनर्गठित करती है और भारत के सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को इस बोर्ड में नियुक्त करती है :

अध्यक्ष

डा०पी०सी० चन्द्र
पूर्व केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री

पदेद सदस्य

1. सचिव,
संस्कृति विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. सचिव (व्यय),
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार

3. पश्चिमी बंगाल सरकार का एक नामित व्यक्ति।

4. महा सचिव,
एशियाटिक सोसायटी,
1, पार्क स्ट्रीट,
कलकत्ता-700016

सदस्य

1. प्रो अतीन्द्र नाथ मुखर्जी,
प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास,
56, यतीन्द्र दास रोड,
कलकत्ता-700029।

2. प्रो० टी०पी० वर्मा,
प्राचीन इतिहास विभाग,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

3. श्री एस. गुरुमूर्ति,
प्राचीन इतिहास विभाग,
मद्रास विश्वविद्यालय,
चेन्नई।

4. डा० रफीक जकारिया,
पूर्व मन्त्री/इतिहासकार,
एम०एच० सं० 41, मी लैंड,
कोलाबा, मुंबई।

5. प्रो० भाशुतोष चटर्जी,
पूर्व कुलपति,
विश्वभारती विश्वविद्यालय
164/3/3, लेक गार्डन,
कलकत्ता-70045।

6. श्री नृभाष मुखोपाध्याय,
ज्ञानपीठ विजेता,
5 बी०, डा० शरत बनर्जी मार्ग,
कलकत्ता-700029।

7. प्रो० निमाई सरन बोस,
92, रामकृष्णपुर लेन, शिवपुर।

हावड़ा (पश्चिम बंगाल-11072)

6. प्रो० दीपक बरुआ,
निदेशक,
नव नालंदा महाविहार,
नालंदा (बिहार)

2. योजना बोर्ड के कार्यकलापों को प्रशिशासित करने वाले नियम वही होंगे जो दिनांक 25 जून, 1984 के 472 (ई) के अन्तर्गत संख्या एफ० 8-16/84-सी०एच० (डेस्क) द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

[सं० एफ० 20-13/87-पुस्त० II/ए० एंड ए०]

हुमेरा अहमद, निदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 13th July, 1998

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Asiatic Society Act, 1984 (5 of 1984), the Central Government hereby reconstitute the Planning Board (Asiatic Society, Calcutta) and appoints the following to the said Board for a period of 4 years from the date of issue of the notification in the official Gazette of India.

CHAIRMAN

Dr. P. C. Chunder,
Former Union Minister of Education.

EX-OFFICIO MEMBERS

1. Secretary,
Department of Culture,
Ministry of Human Resource Development.

2. Secretary (Expenditure),
Ministry of Finance,
Government of India.

3. A nominee of the Government of West Bengal.

4. The General Secretary,
The Asiatic Society,
No. 1, Park Street,
Calcutta-700016.

MEMBERS

1. Prof. Bratindra Nath Mukherjee,
Prof. of Ancient History,
56, Jatindra Das Road,
Calcutta-700029.

2. Prof. T. P. Verma,
Department of Ancient History,
Banaras Hindu University,
Varanasi.

3. Shri S. Gurumurthy,
Department of Ancient History,
University of Madras,
Chennai.

4. Dr. Rafiq Zakaria,
Former Minister/Historian,
MH No. 41, Sea Land,
Kolaba, Mumbai.

5. Prof. Bhabotosh Chatterjee,
Ex-Vice Chancellor,
Vishwa Bharati University,
164/3/3, Lake Gardens,
Calcutta-700045.

6. Shri Subhash Mukhopadhyay,
Jnanpeeth Awardee,
5B, Dr. Sarat Banerjee Road,
Calcutta-700029.

7. Prof. Nimai Sadan Bose,
92, Ramakrishna Pur Lane,
Shivpur,
Howrah, West Bengal-711002.

8. Prof. Dipak Barua,
Director,
Nav Nalanda Mahavihara,
Nalanda (Bihar).

2. The rules governing the activities of the Planning Board will be the same as notified vide 472(E) dated the 25th June, 1984 (No. F. 8-16/84-CH-Desk).

[No. F. 20-13/87-LIB-II(A&A)]

HUMERA AHMED, Director

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1998

सा.का.नि. 133.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर प्रवीणता प्रमाण पत्र और विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली प्रचालन अनुज्ञप्ति) नियम, 1994 की उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् .

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर प्रवीणता प्रमाणपत्र और विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली संचालन अनुज्ञप्ति) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं :—इन नियमो में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिसमय" से समय-समय पर यथा संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का अभिसमय अभिप्रेत है।

3. प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों के प्रवर्ग :—केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसी परीक्षा के, जो उसके द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाए, परिणाम के आधार पर (अभिसमय

के निबंधनों के अनुसार) विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली का प्रचालन करने के लिए निम्नलिखित प्रवर्गों के प्रवीणता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :—

(i) प्रथम वर्ग रेडियो इलेक्ट्रानिक प्रवीणता प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति,

(ii) द्वितीय वर्ग रेडियो इलेक्ट्रानिक प्रवीणता प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति,

(iii) साधारण आपरेटर प्रवीणता प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति।

(iv) निर्बन्धित आपरेटर प्रवीणता प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति ।

4. अनुज्ञप्ति के लिए परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता — कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन आयोजित किसी परीक्षा में नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के लिए प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति —

(i) भारत का नागरिक न हो,

(ii) परीक्षा की तारीख को अठारह वर्ष की आयु से अधिक न हो,

(iii) (क) वैकल्पिक विषयों के रूप में गणित और भौतिक विज्ञान सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अखिल भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण न की हो,

(ख) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के उपबंधों के अधीन पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त बोर्ड विधि मान्य सक्षमता प्रमाण पत्र या उसके समतुल्य न रखता हो;

या

(ग) भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर प्रवीणता प्रमाण पत्र और बेतार तारयांत्रिकी प्रचालन अनुज्ञप्ति) नियम, 1954 के उपबंधों के अधीन संचार मंत्रालय (बेतार योजना और समन्वय खंड) द्वारा जारी कोई बोर्ड विधिमान्य प्रवीणता प्रमाण पत्र या उसके समतुल्य न रखता हो,

(iv) नियम 3 के उपनियम (iii) और उपनियम (iv) के अधीन प्रमाणपत्रों के उन प्रवर्गों के सिवाय जहां व्यावहारिक प्रशिक्षण दो सप्ताह से अनधिक की अवधि के लिए हो सकेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किन्हीं संस्थानों में विश्व समुद्री विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली उपस्करों में 6 मास से अन्यून की अवधि के लिए कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण न लिया हो।

5. आवेदन — नियम 3 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन, उस सरकार द्वारा समय-समय पर विहित प्ररूप में, सभी सम्बन्धित प्ररूपों और दस्तावेजों को सम्यक् रूप से भर कर तथा सभी प्रकार से पूरा करके, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान के माध्यम से, जिसमें अभ्यर्थी ने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया है केन्द्रीय सरकार को या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए अधिकारी को दिया जाएगा ।

6. परीक्षा के लिए फीस — नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित मापमान में फीसों का संदाय करेगा :—

(i) प्रथम वर्ग रेडियो इलेक्ट्रानिक प्रवीणता प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति या द्वितीय वर्ग रेडियो इलेक्ट्रानिक प्रवीणता प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति के लिए —

(क) भाग—1 के लिए 1000 रुपए

(ख) भाग—2 और /या 3 के लिए 1000 रुपए

(ii) साधारण आपरेटर के प्रवीणता प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति के लिए या निर्बन्धित आपरेटर के प्रवीणता प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति के लिए, भाग-1 और भाग-2 के लिए 500 रुपए (ऊपर विनिर्दिष्ट किसी परीक्षा के लिए फीस केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए है ।)

7. परीक्षा—(1) नियम 3 में विनिर्दिष्ट विश्व समुद्री-विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली प्रमाणपत्र के प्रदान के लिए परीक्षा अभिसमय के निबंधनों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित रीति से आयोजित की जाएगी, जो वह स्थान जहां और वह तारीख जिसको ऐसी परीक्षा होगी, अधिसूचित करेगी ।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे परीक्षा में प्रवेश दिया गया है और प्रतिरूपण का या ऐसे गढ़े हुए दस्तावेजों को, जिन्हें बिगाड़ा गया है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन, जो गलत या मिथ्या हैं ये जिनमें तात्विक जानकारी छिपाई गई करने का या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का अन्यथा आश्रय लेने का दोषी पाया गया है, आपराधिक अभियोजन के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त, नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट रेडियो टेली-फोनी के विश्व समुद्री-विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली प्रमाण पत्र के प्रदान करने के लिए आयोजित परीक्षाओं में से किसी में बैठने से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा :

परन्तु इस नियम के अधीन आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को, की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

8. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता – (1) नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अनुज्ञप्ति, ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की आरंभिक अवधि के अवसान पर, इसका एक समय में पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा, यदि वह व्यक्ति जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति जारी की गई है, –

(i) वह 500 रुपए की फीस का संदाय करता है,

(ii) उसके पास अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से ठीक पहले पांच वर्ष के भीतर कम से कम 6 मास का कुल अनुभव है, और

या

(iii) पुन: परीक्षा द्वारा या अन्यथा केन्द्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास अभी भी प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए सभी अपेक्षित पात्रताएं हैं।

(3) यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, अनुज्ञप्ति के धारक ने अनुज्ञप्ति के पुन: विधिमान्यकरण के प्रयोजन के लिए जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक गलत या मिथ्या जानकारी दी है, तो केन्द्रीय सरकार अनुज्ञप्ति को पृष्ठांकित, निलंबित या रद्द कर सकेगी :

परन्तु इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को, की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'अनुभव' पद से विश्व समुद्री-विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली का प्रयोग कर रहे समुद्रीय चल स्टेशन या वैमानिक चल सेवा में प्राप्त अनुभव अभिप्रेत है।

9. अनुज्ञप्ति के प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना या प्रतिस्थापन

(1) ऐसा धारक, जिसका इन नियमों के अधीन जारी किया गया अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र खो गया है, विकृत या नष्ट हो गया है, केन्द्रीय सरकार को ऐसी हानि के बारे में तुरन्त अधिसूचित करेगा। अनुज्ञप्ति के प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए समुचित रूप से निष्पादित आवेदन केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा जिसमें उस अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र की, जिसके लिए दूसरी प्रति अपेक्षित है, हानि, विकृति या नाश मे अन्तर्वलित परिस्थितियों का एक विवरण सन्निविष्ट होगा। यदि अनुज्ञप्ति-प्रमाणपत्र खो गया है, तो आवेदक का यह कथन अवश्य करना चाहिए कि उसके लिए उचित तलाश की गई है और इसके अतिरिक्त, यह कि उसके मिल जाने की दशा में, मूल प्रति या दूसरी प्रति रद्द किए जाने के लिए लौटा दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार पांच सौ रुपए का संदाय किए जाने पर, किसी अनुज्ञप्ति-प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकेगी।

10. आपरेटरों का अनुशासन-(1) यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र का धारक, इसे विधिपूर्वक लागू अभिसमय के या इन नियमों के या किन्हीं विनियमों के उपबंधों या निर्बंधनों के अनुपालन की बाबत अनुपालन करने में जान बूझकर या उपेक्षापूर्वक असफल हो गया है, तो केन्द्रीय सरकार प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित, निलंबित या रद्द कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अधीन किसी भी समय प्रवीणता प्रमाणपत्र के धारक से उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी और धारक ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अधीन किसी भी समय प्रवीणता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति के धारक से उसके ज्ञान और योग्यता की जांच करने के लिए पुन: परीक्षा की जाने की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसी परीक्षा के परिणामस्वरूप प्रवीणता अनुज्ञप्ति को पृष्ठांकित निलंबित या रद्द कर सकेगी। ऐसी परीक्षा के लिए कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी।

(4) इन नियमों के अधीन प्रमाणपत्र का प्रत्येक धारक पत्राचार की गोपनीयता बनाए रखेगा। ऐसा धारक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन में, इस आशय की घोषणा की जाएगी;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अधीन विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली प्रमाणपत्र के जारी किए जाने को शासित करने वाली शर्तों में से किसी को, धारक को लिखित रूप में विनिर्दिष्ट सूचना भेजकर या राजपत्र में या नई दिल्ली में समाचारपत्र में प्रकाशित साधारण सूचना द्वारा उपांतरित, परिवर्तित, रद्द या प्रतिसंहृत कर सकेगी।

11. विदेशियों का प्रवेश और प्रवीणता और प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना :—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह समय समय पर अधिरोपित करे —

(i) किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन आयोजित परीक्षा में प्रवेश दे सकेगी।

(ii) उसे बेतार टेलीग्राफी में कोई प्रवीणता प्रमाणपत्र या बेतार टेलीग्राफी का प्रचालन करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी,: या

(iii) उपर्युक्त हैसियतों से भिन्न कोई प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकेगी।

12. अन्य देशों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की मान्यता केन्द्रीय सरकार, किन्हीं ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह, समय-समय पर विहित करे, किसी अन्य देश में, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र को उसके द्वारा जारी किए गए वैसे ही वर्ग के प्रवीणता प्रमाणपत्र के समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी।

13. अनन्तिम प्रमाणपत्र—केन्द्रीय सरकार, उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी को, परिणाम के घोषित होने पर, तुरन्त इन नियमों के अधीन, नियमित प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व कोई अनन्तिम प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी।

14. भाषा—इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी।

[फा.सं.-11014/13/97-एल आर]

डी. के. नरसा कृष्णनन, सहायक बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 6th July, 1998

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and in supersession of the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio operator's certificate of proficiency and licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Opeerator's Certificate of Proficiency and Licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 1997.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—Unless the context otherwise requires, in these rules—

(a) "Convention" means the convention of the International Telecommunication Union as amended from time to time.

3. Categories of certificates and licences—On the result of an examination which may, from time to time be held by it or by an Officer empowered by it in this behalf, the Central Government may grant (in accordance with the terms of the Convention) the following categories of the certificates of proficiency or licence to operate Global Maritime Distress and Safety System, namely :—

(i) First Class Radio Electronic Certificate of Proficiency and Licence ;

(ii) Second Class Radio Electronic Certificate of proficiency and Licence ;

(iii) General Operator's Certificate of Proficiency and Licence ;

(iv) Restricted Operator's Certificate of Proficiency and Licence.

4. Eligibility for admission to the Examination for licence—No person shall be eligible for admission to an examination held under these rules for grant of a certificate specified under rule 3 unless such a person—

(i) is a Citizen of India ;

(ii) is above the age of eighteen years on the date of examination ;

(iii) (a) has passed All India Senior Secondary School Certificate examination or an equivalent examination conducted by a recognised Board or University with Mathematics and Physic as optional subjects :

OR

(b) holds a valid certificate of competency or its equivalent issued or recognised by the Directorate General of Shipping under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) ;

OR

(c) holds a valid certificate of proficiency or in equivalent issued by the Ministry of Communications (Wireless Planning and Coordination Wing) under the provisions of the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and licence to operate Wireless Telegraphy) Rules, 1954 ;

(iv) has undergone a practical training on Global Maritime Distress and Safety System equipments for a period not less than six months in any of the institutes approved by the Central Government except in case of category of certificate under sub-rule (iii) and sub-rule (iv) of rule 3 where the practical training may be for a period not less than two weeks.

5. Application—An application for admission to an examination specified in rule 3, shall be made to the Central Government or to an Officer empowered by it in this behalf, in the form prescribed by that Government from time to time, together with all the subsidiary forms and documents duly filled in and completed in all respects through an Institute approved by the Central Government in which the candidate had undergone practical training prescribed by the Central Government.

6. Fee for the examination—A candidate for admission to an examination for the grant of certificate specified in rule 3 shall pay fees in the following scale namely :—

(i) for First Class Radio Electronic Certificate of Proficiency and Licence or Second Class Radio Electronic Certificate of Proficiency and Licence—

(a) for Part—I Rupees 1,000

(b) for Part—II and/or Part-III Rupees 1,000

(ii) for General Operator's Certificate of Proficiency and Licence or Restricted Operator's Certificate of Proficiency and Licence, for Part-I and Part II Rupees 500

(Fee for an examination specified above is subject to revision by Central Government from time to time).

7. Examination—(1) The examination for the award of Global Maritime Distress and Safety System certificates specified under rule 3 shall be held in accordance with the terms of the Convention and in the manner determine from time to time, by the Central Government who shall notify the place at which and the date on which such examination shall be held.

(2) Any person admitted to the examination and found guilty of impersonation or submitting fabricated documents which have been tampered with or making statements which are incorrect or false or suppressing material information or otherwise resoting to any other irregular or improper means

for obtaining admissions to the examination may, in addition to rendering him liable to criminal prosecution, be debarred either permanently or for a specified period from appearing in any of the examination held for the award of Global Maritime Distress and Safety System certificates specified under rule 3 :

Provided that order under this rule shall not be made unless the person has been given a reasonable opporunity of making a representation against the action proposed to be taken.

8. Validity of Licence—(1) Every licence specified under rule 3 shall be valid for a period of ten years from the date of issue of the certificate for such licence.

(2) On the expiry of the initial period of the validity of licence under sub-rule (1) it may be renewed for a further period of five years at a time, if the person to whom such licence is issued,—

(i) pays a fee for Rupees 500

(ii) has a total experience of not less than six months within five years immediately preceding the date of expiry of such licence ; and

OR

(iii) satisfies the Central Government by re-examination or otherwise that he still possesses all of the eligibilities required for issue of the certificate.

(3) If the holder of a licence, in the opinion of the Central Government has willfully or negligently provided incorrect or false information for the purpose of re-validation of the licence the Central Government mv endorse, suspended or cancel the licence :

Provided that no order to suspend or cancel the licence under this rule shall be made unless the persons concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the action protime Distress and Safety System.

Explanation—For the purposes of this rult. tho expression "experience" means the experience gained at a mobile station in the Maritime Mobile Service using Global Maritime Distress and Safety System.

9. Issue of duplicate or replacement of certificate of licence—(1) A holder whose certificate of licence issued under these rules has been lost, mutilated or destroyed shall immediately notify the loss to the Central Government. A properly executed application for duplicate certificate of licence shall be made to the Central Government embodying a statement of the circumstances involved in the loss, mutilation or destruction of the certificate of licence for which a duplicate is required. If the certificate of licence has been lost, the applicant must state that reasonable search has been made for it and further, that in the event it be found, either the original or the duplicate shall be returned for cancellation.

(2) The Central Government may issue duplicate copy of any certificate of licence on the payment of Rupees 500.

10 Discipline of Operators—(1) If in the opinion of the Central Government the holder of a certificate of licence under these rules has willfully or negligently failed to comply with the provisions of the Convention, or of these rules or of any regulations lawfully applicable to him in respect of operation of Radio Apparatus, the Central Government may endorse, suspend or cancel the certificate.

(2) The Central Government may under these rules at any time require the holder of a Certificate of Proficiency to produce the same and the holder shall comply with such requisition.

(3) The Central Government may at any time require the holder of a certificate of proficiency or licence under these rules to be re-txamined in order to test his knowledge and ability and may as a result of such examination, endorse, suspend or cancel the proficiency or the licence. No fee shall be chargeable for such examination.

(4) Every holder of the certificate under these rules shall observe secrecy of the correspondence. A declaration to this effec shall be made by such holder in the application for admission to the examination for such certificate.

Provided that tho Central Government may modify, vary, cancel or revoke any of the condition governing the issue of any Global Maritime Distress and Safety System certificate under these rules either by sending notice in writing to the holder or by a general notice published in the Official Gazette or Newspaper in New Delhi.

11. Admission and award of proficiency and 'licence to operate' to foreigners—Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Government may, subject to such conditions as it may impose from time to time,—

(i) admit a person, who is not a citizen of India to an examination held under these rules, and

(ii) award him a certificate of proficiency in wireless telegraphy or certificate of licence to operate wireless telegraphy, or

(iii) award him only a certificate of proficiency in wireless telegraphy.

12. Recognition of certificates issued by other countries—The Central Government may recognise, subject to any conditions as it may prescribe from time to time, certificate specified under rule 3 issued by a competent authority in any other country as a certificate of proficiency or licence of the same class issued by it.

13. Provisional certificate—The Central Government may issue a provisional certificate to the successful candidates immediately on declaration of results before issue of regular certificate under these rules.

14. Language—The Language of the examinations conducted under these rules shall be English.

[R-11014/13/97-L.R.]

T. K. VARADA KRISHNAN, Asst. Wireless Adviser

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1998

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समेकित मात्स्यिकी परियोजना (उपनिदेशक) भर्ती नियम, 1977 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समेकित मात्स्यकी परियोजना (उपनिदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समेकित मात्स्यकी परियोजना (उपनिदेशक) भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में, उप निदेशक (प्रयोगात्मक मात्स्यकी) के पद से संबंधित क्रम संख्याएं 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
2. उपनिदेशक (प्रयोगात्मक मात्स्यकी)	01* 1996 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :— केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

12	
	(2) जिन्होंने 2200-4000 रु. के या समतुल्य वेतन-मान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है; या (3) जिन्होंने 2000-3500 रु या समतुल्य वेतन-मान वाले पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या समुद्र जीव विज्ञान या समुद्र विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य, या केन्द्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान, मुबई से मत्स्य-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य । (ii) समुद्री मीन उद्योग मे 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से मछली के प्रयोगात्मक और समन्वेषी को सचालन करने के लिए मत्स्य जलयान प्रचालन के पर्यवेक्षण कार्य में 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो। II. ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के साथ विभागीय सहायक निदेशक के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे सहायक निदेशक जिन्होंने सहायक निदेशक और मत्स्य उद्योग निदेशक सेवा प्रोद्योगिकी विद् की श्रेणी में कुल मिलाकर 8 वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा सहायक निदेशक की श्रेणी में ही और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 5-35/94-मत्स्य (प्रशा.)]
के. पी. मल्होत्रा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम सा. का. नि. सं. 1306 तारीख 1-10-1977 द्वारा प्रकाशित।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 6th July, 1998

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Integrated Fisheries Project, (Deputy Director) recruitment rules, 1977.

1. Short title and Commencement (1) These rules may be called the Integrated Fisheries Project (Deputy Director) amendment Rules, 1997, (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Integrated Fisheries Project (Deputy Director) Recruitment Rules 1977, for serial number 2 relating to Deputy Director (Experimental Fishing) and entries thereto, the following shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
"2. Deputy Director (Experimental Fishing)	01* *1996 *Subject to variation Dependent on Workload	GCS Group A Gazetted Non-Ministerial	3000-100-3500-125-4500	N.A.

Age Limit for Direct Recruits	Whether benefit of added Yrs of service admissible	Educational & Other Qualification Reqd. for Direct Recruits	Whether Age & EQ Prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees	Period of Prob. If any
6	7	8	9	10
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Nil

Method of Rectt. Whether by Direct Rectt. by Promotion or by Deputation/Transfer & % of the Vacancy to be Filled by various methods	In case of Rectt. by Promotion/Deputation / Transfer, Grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made
11	12
Promotion/Transfer on Deputation including Short-term Contract.	Promotion Transfer on Deputation (Including Short term Contract). Officers under Central/State Governments UTs/Agricultural Universities/Recognised Research Institutions :—

	12
	(a) (i) Holding Analogous Posts on regular basis; or (ii) With 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200—4000 or Equivalent; or (iii) With 8 years regular service in posts in the Scale of Rs. 2000—3500 or Equivalent; and (b) Possessing Educational Qualifications and Experience as under :— (i) Masters Degree in Zoology or Marine Biology or Oceanography or Fisheries Science of a Recognised University or Equivalent; OR Post-Graduate Diploma in Fisheries Science from the Central Institute of Fisheries Education, Bombay or Equivalent. (ii) 5 years experience in Marine Fisheries of which 2 years must be Practical Experience in supervising Fishing Vessel Operations for conducting experimental and exploratory Fishing. II. The Departmental Assistant Director with 5 years regular service in the grade or Assistant Director with 8 years combined regular service in the grade of Assistant Director and Fishery Officer/Service Technologist of which at least 3 years regular service should be in the grade of Assistant Director shall also be considered alongwith Deputationists and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by Promotion. (Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on Deputation (including Short-term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making Rectt.
13	14
N.A.	Consultation with UPSC necessary.

[F. No. 5-35/94-Fy (Adm.)]

K. P. MALHOTRA, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 1306 dated the 7.10.1977.

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

(विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय)

फरीदाबाद, 3 जुलाई, 1998

सा.का.नि. 135.—मैं, एम.के. मण्डल, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अन्तर्गत विरचित सामान्य श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन नियम, 1988 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के उपकार्यालय, लखनऊ, अथवा प्रभारी के रूप में विधिवत् नियुक्त किसी भी दूसरे अधिकारी को निम्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

(i) नियम 3—अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचीबद्ध किसी वस्तु का श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन करने के लिये प्राधिकार प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(ii) नियम 4—निर्यात श्रेणीकरण और केन्द्रित श्रेणीकरण के संदर्भ में प्राधिकार प्रमाण-पत्र का नवीकरण करना ;

(iii) नियम 5—प्राधिकार प्रमाण-पत्र में प्राधिकृत पैकर के नाम, शैली अथवा पते में हुए परिवर्तनों का और प्राधिकृत परिसरों के परिवर्तन का रिकार्ड करना ;

(iv) नियम 7—यदि वे निम्न बातों से सन्तुष्ट हों तो प्राधिकार प्रमाणपत्र को निलंबित करना अथवा रद्द करना ;

(क) कि प्राधिकृत पैकर द्वारा श्रेणी अभिदात चिन्ह सही तरीके से प्रयोग नहीं किये गये हैं, अथवा

(ख) प्राधिकृत पैकर द्वारा अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, अथवा

(ग) प्राधिकृत पैकर द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया गया है अथवा वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किये गये अनुदेशों का पालन करने में असफल रहा है जो कि नियम 7 के उपनियम (2) और (3) के तहत यथा निर्धारित शर्तों पर निर्भर करता है।

(v) नियम 8—अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुसूचीबद्ध किसी वस्तु के श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन हेतु पैकर द्वारा स्थापित प्रयोगशाला को अनुमोदित करना ;

(vi) नियम 9—श्रेणीकरण प्रयोगशाला में तैनात किये के लिये पैकर द्वारा नियुक्त रसायनज्ञ को अनुमोदित करना ;

(vii) नियम 9(5)—यदि रसायनज्ञ अनुदेशों का पालन करने में असफल रहता है अथवा किसी नियम का उल्लंघन करता है तो रसायनज्ञ को कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के प्रावधानों के तहत किसी वस्तु के श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन के लिये प्रदत्त अनुमोदन को वापस लेना जबकि अनुमोदित रसायनज्ञ को इस आशय का कारण बताने का अवसर दिया जायेगा कि अनुमोदन क्यों न लिया जाये ;

(viii) नियम 10(3)—प्राधिकृत पैकरों को एगमार्क लेबलों के स्थान पर "एगमार्क रेप्लिका" का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करना ;

(ix) नियम 10(5) छपाई करने वाली प्रेसों अथवा विनिर्माण करने वाली यूनिटों को "एगमार्क रेप्लिका" युक्त डिब्बों की छपाई और/अथवा विनिर्माण करने की अनुमति प्रदान करना;

(x) नियम 11—श्रेणीकृत वस्तु की पैकिंग के तरीके में छूट देने/संशोधित करने की अनुमति प्रदान करना तथा श्रेणीकृत वस्तु पर निजी व्यापार चिन्ह, ट्रेड ब्रांड लेबल आदि लगाये गये का अभिलेख करना ;

(xi) नियम 14—प्राधिकृत पैकरों से किसी भी अनुसूचीबद्ध वस्तु के संबंध में सूचना, रिपोर्ट अथवा विवरणियां मंगाना।

[फा.सं. क्यू-11011/1/94-मानक]

एम.के. मण्डल, कृषि विपणन सलाहकार

MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT

(Directorate of Marketing and Inspection)

Faridabad, the 3rd July, 1998

G.S.R. 135.—I, M. K. Mandal, Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, in exercise of the powers conferred on me under the General Grading and Marking Rules, 1988, framed under the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) hereby authorise Deputy Agricultural Marketing Adviser of the Sub-Office of the Directorate of Marketing and Inspection, Lucknow or any other officer duly appointed to work as incharge of the Sub-Office, Lucknow to exercise the following powers in regard to grading and Marking of agricultural and allied products,

(i) Rule 3—To grant the Certificate of Authorisation for grading and marking of any scheduled article in accordance with the provisions of the Rules made under the Act ;

(ii) Rule 4—To renew the certificate of Authorisation in respect of export grading and centralised grading ;

(iii) Rule 5—To record changes in the name, style or address of the authorised packer and change of authorised premises in the Certificate of Authorisation ;

(iv) Rule 7—To suspend or cancel any certificate of Authorisation, if he is satisfied :—

(a) that the authorised packer has not applied the grade designation marks correctly ; or

(b) that authorised packer has contravened any of the provisions of the Act ; or

(c) that the authorised packer has violated any Rule or has failed to comply with any of the instructions issued under the provisions of the Act, subject to the conditions as stipulated under sub-rules (2) and (3) of Rule 7.

(v) Rule 8—To approve the laboratory set up by the packer for garding and marking of any scheduled article under provisions of the Act ;

(vi) Rule 9—To approve the chemist appointed by the packer for manning the grading laboratory ;

(vii) Rule 9(5)—To withdraw the approval accorded to the chemist for grading and marking of any scheduled article under provisions of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), if the chemist has failed to comply with the instructions or violated any Rule, provided that an opportunity shall be given to the approved chemist for showing cause as to why the approval should not be withdrawn ;

(viii) Rule 10(3)—To grant permission for use of "Agmark Replica" in lieu of Agmark labels to the authorised packers ;

(ix) Rule 10(5)—To grant permission to the printing press or manufacturing units for printing and/or manufacturing of the containers bearing the "Agmark Replica" ;

(x) Rule 11—To allow relaxation/modification in the mode of packing of graded article and to record the private trade marks, trade brand label to be affixed on the graded article ;

(xi) Rule 14—To call for information, reports or returns in respect of any of the Scheduled articles from the authorised packers.

[F. No. Q-11011/1/94-Std.]

M. K. MANDAL, Agricultural Marketing Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Moya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1998